राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	10/2011 रुडाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बनाम बाबूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।	
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभरलेक के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/09/2010 पारित करते हुए विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 562/747/1 रकबा 5 बीघा बा. 2 वाके ग्राम हरसोली प.ह./गिरदावर हल्का करणसर, तहसील फुलेरा पर तहसीलदार तहसीलदार फुलेरा मु. सांभर को रिसिवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किये जाने के बावजूद मौके पर विवाद उत्पन्न होने के कारण वाद बहुल्लता नही बढ़े तथा कोई अप्रिय धटना कारित नही हो, को दृष्टीगत रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो एक न्यायोचित्त आदेश प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/09/2010 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	